International Journal of Applied Research 2019; 5(1): 188-190

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(1): 188-190
www.allresearchjournal.com
Received: 27-11-2018
Accepted: 29-12-2018

डॉ॰ राम प्रकाश
पतैली, समस्तीपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ॰ राम प्रकाश
पतैली, समस्तीपुर, बिहार, भारत

बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन–समस्याएँ एवं समाधन

डॉ॰ राम प्रकाश

सारांश
बिहार की अर्थव्यवस्था का कृषि रीढ़ है। कृषि के विकास पर ही बिहार राज्य का विकास निर्भर करता है। फिर भी दुख की बात यह है कि बिहार के कृषि श्रमिकों का पलायन की गति तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं जैसे–अत्यधिक जनसंख्या,उचित पारिश्रमिक का नहीं मिलना, गरीबी, असंगठित क्षेत्र इत्यादि। पालयन के कारण कृषि का विकास समुचित ढ़ंग से नहीं हो पाता है जो अंतोगत्वा विकास नहीं होने देता है। भारत सरकार एवं बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू कर श्रमिकों के पालयन को रोकने का प्रयास की है। फिर भी इसमें संतोषजनक सफलता नहीं मिल पाई है। उत्तरी बिहार से तो अत्यधिक कृषि श्रमिकों का अत्यधिक पलायन हो रहा है कारण कि इस क्षेत्र में लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है।
अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन अत्यधिक हो रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार और जनता दोनों को एक साथ सहयोग करने पर ही कृषि श्रमिकों का पलायन रूक सकता है। जब ये दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगें तब तक बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन नहीं रूकेगा। वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि कृषि श्रमिक खाली समय में दूसरे रोजगार में लगे रहेंगे। इससे राज्य को दोहरी लाभ भी होगा।

प्रस्तावना
बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि ही अन्य उद्योगों के विकास का आधार है फिर भी कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्त्तमान समय में कृषिगत श्रमिकों का दबाब कृषि क्षेत्र में अधिक रहने के बावजूद तथा कृषि श्रमिकों की दयनीय अवस्था आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सोचनीय रहने के कारण बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन दूसरे प्रान्तों में अधिक हो रहा है। इसे एक चिन्तनीय विषय कहा जा सकता है। यहाँ की जमीन उपजाऊ भी है और सामान्य मौसम रहने पर लाभकर भी है। फिर भी, जिन श्रमिकों के पास थोड़ी–बहुत भूमि है जिसपर कृषि कार्य कर वे घर पर रहकर ही सुखी जीवन बिता सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के श्रमिक भी आज बिहार से दूर दराज के प्रान्तों में रोजगार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। श्रमिकों का यह पलायन यातायत की सुविधाओं के चलते अत्यधिक बढ़ी है। वर्त्तमान राज्य सरकार भी इस समस्याओं से चिंतित है और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का अवलम्बन सरकार ले रही है। उदाहरणस्वरूप मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी श्रमिकों का पलायन रूकने के बजाय बढ़ रही है। एक ओर बिहार के कृषि श्रमिक दूसरी जगह अपनी सेवा प्रदान कर वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने यहाँ कृषि श्रमिकों के पलायन से सुना–सुना लग रहा है। साथ ही कृषि की उत्पादकता जिस रूप में बढ़नी चाहिए अर्थात् कृषि आय में वृद्धि होनी चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसके कारण बिहार के कृषि श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कठिनतम दौर से मुजर रहा है। सरकारी प्रयास उनके कठिनतम जीवन को सुलभ बनाने के लिए नित्य नए रूप में लाए जा रहे हैं। जैसे–नरेगा को मनरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर भी इस सम्बन्ध में समस्याएँ बढ़ रही है।
समस्याओं के बढ़ने के बावजूद भी हाल के दिनों में बिहार राज्य की विकास दर 14.15 प्रतिशत आंकी गयी है। फिर भी कृषि क्षेत्र में कृषिगत श्रमिकों की समस्याओं में कमी नहीं हो रही है। कृषि श्रम की जाँच के अनुसार कृषि श्रमिक को वर्ष भर में 222 दिन ही काम मिलता है और शेष समय बेकार रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्त्तमान समय में कृषि श्रमिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें से कुछ समस्याओं की चर्चा नीचे कर रहे हैं।
कृषि श्रमिक और मालिकों के बीच पूरे राज्य में एक तरह का सम्बन्ध नहीं हैं। रोजगार की अवधि, भुगतान की राशि और ढ़ंग, काम छोड़कर अन्यत्र जाने की स्वतन्त्रता, मालिकों के साथ सौदेबाजी

की गुंजाइश, बेगार आदि की दृष्टि से मालिक–श्रमिक सम्बन्ध न केवल विभिन्न जिलो में अलग–अलग है, बल्कि वे एक ही जिले में भी एक गाँव से दूसरे गाँव में भिन्न है। मोटे तौर पर श्रमिक और मालिक के बीच दो तरह के सम्बन्ध होते है। पहली श्रेणी में वे श्रमिक हैं जो स्वतंत्र है और इस दृष्टि से वे चाहें तो जमींदार या किसान द्वारा दी जाने वाली मजदूरी पर काम करने से इन्कार कर सकते है। यही लोग गाँव छोड़कर काम की खोज में बाहर चले जाते है। दूसरी श्रेणी में बँधुआ मजदूर आते है। इन्हें मालिक के खेतों पर काम करना होता है और जो कुछ मालिक देता है वही लेना होता है। इन्हें कई तरह से स्वतन्त्रता से वंचित किया गया है। परन्तु वर्त्तमान समय में बिहार में बन्धुआ श्रमिकों की संख्या में कमी हुई है। परिणाम स्वरूप मालिक–श्रमिक के बीच सम्बन्ध में थोड़ा सा भी खटास आता है तो श्रमिक गाँव छोड़कर काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं।

बिहार के गाँवों में आज भी कृषि भिन्न व्यवसायों की कमी है जो श्रमिकों की कम मजदूरी और हीन आर्थिक दशा के लिए जिम्मेदार है। गाँवों में आबादी की निरन्तर वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। किन्तु दूसरी ओर खेती–भिन्न काम–धन्धों की कमी तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने–जाने के कारण कृषि श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई है। अपनी आर्थिक स्थिति में स्थायी तौर से समाधान ढूढ़ने के उद्देश्य से पलायन कर रहे है।

कृषि श्रमिकों को सालों भर काम नहीं मिल पाता है। द्वितीय कृषि श्रम की जाँच के अनुसार कृषि श्रमिक को वर्ष भर में केवल 197 दिन ही काम मिलता है और शेष समय वह बेकार रहता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अल्प–रोजगार के अलावा बेकारी भी है। अल्प–रोजगार एवं बेकारी दोनों बिहारी कृषि श्रमिक की कम आय और हीन आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु खेती के धन्धे की प्रकृति ही कृछ ऐसी है कि श्रमिक को लगातार काम नहीं मिल सकता है। अधिकतर खेंती में काम मौसम के अनुसार कुछ समय छोड़–छोड़कर होता है। अनेक परिथितियों में एक फसल प्रणाली के कारण वर्ष में केवल छः या सात महीने ही काम मिलपाता है। परिणामस्वरूप कृषिश्रमिक पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं।

हमारे राज्य में कृषि श्रमिक की पारिश्रमिक और पारिवारिक आय बहुत कम है। हरित क्रांति के बाद कृषि श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि होने लगी है। परन्तु कीमतों में अधिक वृद्धि हुई है इस लिए वास्तविक मजदूरी दर में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। ए.वी. जोस ने 1970–71 से 1984–85 की अवधि के लिए कृषि में मजदूरी दरों का अध्ययन किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्यों में इन वर्षों में से अधिकतर वर्षो में या तो वास्तविक मजदूरी स्थिर रही है या फिर उसमें गिरावट हुई। मजदूरी में कमी होने से कृषि श्रमिक अत्यंन्त गरीबी में जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। वे सोचते है कि घर पर बैठे रहने से अच्छा है कि काम की तलाश में बाहर जायें। वहाँ थोड़ा मेहनत कर लेने से परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। परिवार के अन्य सदस्य मे सहयोग करते है। आपसी सहयोग के कारण उन्हें परिवार की कोई चिन्ता नहीं रहती हैं। इससे वे निश्चिंत होकर बाहर में काम करतें रहते है। वर्त्तमान समय में बिहार जैसे राज्यों में भी यातायात के सुविधा का विकास हो गया है। अब काम की तालाश में कहीं भी जाना कृषि श्रमिक को आसान हो गया है। इस उद्देश्य से भी पलायन करने लगे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यथाशीघ्र घर वापस आ सकते है।

अतः यह कहा जा सकता है कि यातायात के साधन ने भी कृषि श्रमिकों के पलायन को बढ़ाबा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि श्रमिक अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु बिहार से पलायन कर रही है। सरकार भी कृषि श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार की कदम उठायी है। जैसे– यूनतम मजदूरी निर्धारण अधिनियम 1948 में पास हुआ। इस अधिनियम के आधीन प्रत्येक राज्य सरकार को तीन वर्षों में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी स्थानीय लागत और जीवन मान को ध्यान में रखकर नियत की जाती है। चूँकि देश के अलग–अलग भागों में स्थिति अलग–अलग है और विधान के अनुसार एक ही राज्य में मजदूरी की दरें अलग–अलग निश्चिंत की गई है, व्यवहार में न्यूनतम मजदूरी दर को प्रभावशाली ढ़ंग से लागू करना बहुत कठिन है। वास्तव में बिहार जेसे राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि श्रमिको की मजदूरी बढ़ाने में सफल नहीं हो सका है। अतः हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बिहार के कृषि श्रमिक के पलायन को नहीं रोक पाया है।

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार उपल्बध कराने के दृष्टिकोण से कई योजनाओं का शुरूआत किया गया है। ताकि बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन रूक सके। जैसे– ग्रामीण रोजगार की पुरजोर योजना, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारण्टी कार्यक्रम। N RE P की शुरूआत छठी योजना में की गई। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 30 से 40 करोड़ दिहाड़ी अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की व्यवस्था थी। खेतिहर मजदूर रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। बिहार सरकार मनरेगा के अधिन अनेक प्रकार के पदाधिकारियों की बहाली कर कृषि श्रमिक को पलायन को रोकने का प्रयास की है। बिहार के कृषि श्रमिक को निश्चित रोजगार कार्यक्रम के अधिन प्रत्येक श्रमिक को एक जॉब कार्ड बनाया गया है। इस जॉब कार्ड के आधार पर श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। रोजगार नहीं मिलने पर भी न्यूनतम दिनों के मजदूरी का भुगतान बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है।

बिहार सरकार कृषि श्रमिक के पालयन को रोकने के लिए अनेक संगठन को बढ़ावा दिया है। अब गाँवों के श्रमिक 15–20 आदमी का समूह बनाकर सरकार से रोजगार के लिए धन कर्ज के रूप में लेते हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन अत्यधिक हो रहा है तो वहीं दूसरी और सरकार भी पलायन रोकने के लिए एड़ी–चोटी एक की हुई है फिर भी बिहार से खुलने वाली रेलगाड़ी में 70ः से अधिक यात्री कृषि श्रमिक हैं जो काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा मानना है कि सरकार को केवल नीति ही नहीं बनाना चाहिए बल्कि बनाए गए नीतियों को ठीक से कार्यन्वयन भी होना चाहिए। नीति के साथ–साथ व्यवस्यायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति को पढ़ाई समाप्त होते ही रोजगार मिल सके। रोजगार मिल जाने पर श्रमिक पलायन नहीं करेंगे। साथ ही बिहार में अनेक उद्योग ऐसे हैं जिसे चालू कर दिया जाय तो बिहार से कृषि श्रमिक का पलायन अपने–आप रूक जायेगा। कारण कि उद्योग के चालू होने से कृषि श्रमिक को दो तरह से लाभ मिलेगा। एक तो कृषि उत्पादित वस्तु की माँग बढ़ेगी और दूसरी ओर कृषि श्रमिक को उद्योग में रोजगार मिलेगा। इससे कृषि श्रमिक की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी जो पलायन को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। बिहार में कृषि श्रमिक के पलायन को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में राज्य में श्रमिकों की कमी हो सकती है जो अन्तोगत्वा उत्पादन में भारी कमी लाएगी। साथ ही बिहार सरकार को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्त्तन लाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अहमद इमत्याज एवं अहसन कमर – बिहार एक परिचय (2011) नेशनल पब्लिकेशन, खजाँची रोड पटना– 800004
2. कुमार पूणोन्दु – बिहार विस्तृत अध्ययन (2009), अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इन्डिया) प्रा॰ लि॰ मेरठ – 250002.
3. मिश्र एस॰ के॰ एवं पुरी वी॰ के॰– भारतीय अर्थव्यवस्था (2009), हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, नईदिल्ली – 110055.
4. सेक्सेना एस॰ सी॰ – श्रम समस्याएँ एवं सामाजिक सुरक्षा (1996), रस्तोगी पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड मेरठ – 250002.
5. यादव सुन्दरलाल – मजदूरी नीति और सामाजिक सुरक्षा (2009), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर
6. बिहार सरकार इकोनोमिक सर्वे
7. योजना
8. कुरूक्षेत्र
9. बिहार की अर्थव्यवस्था – अरिहन्त पब्लिकेशन्स